

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 149/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ, प्रवर्तन अधिकारी  
बनाम

श्री मोहन लाल पुत्र श्री सुवा लाल जायसवाल,  
निवासी प्लाट नं. 62बी, लवकुश नगर 2, बरकत  
नगर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह बारेठ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 10.11.2011 को शिकायत की जांच हेतु अप्रार्थी के निवास पर कार्यवाही के दौरान 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (4आईओसी+2बीपीसी+2एचपीसी) मय एलपीजी 16.800 किग्रा., 3 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर व 4 पीतल की बांसुरी जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रूप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 02.05.2012 को पेश किये गये जवाब में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी मूंगफली व बर्फ का ठेला लगाकर गुजारा करता है। अप्रार्थी का उक्त जब्त सामान से कोई सरोकार नहीं है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार-बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित जवाब मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थन पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 10.11.2011 को जब्त 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (4आईओसी+ 2बीपीसी+2एचपीसी) मय एलपीजी 16.800 किग्रा., 3 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर व 4 पीतल की बांसुरी द्वारा अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग करके उनके अवैध भण्डारण व विक्रय का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये ना ही कोई सन्तोषप्रद जवाब दिया गया। अप्रार्थी ने लिखित जवाब में अंकित किया कि उक्त जब्त सामग्री से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में जब्त अवैध वस्तुओं का अप्रार्थी से कोई संबंध ना होने की स्वीकारोक्ति होने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



32  
(अशोक कुमार शर्मा)  
अति. जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर।